

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
बी.ए. संख्या - 91/2020

आशीष कुमार

.... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

..... विपक्षी पार्टी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री पंकज श्रीवास्तव, वकील

विरोधी पक्ष के लिए: ए. पी. पी.।

28.01.2020

पार्टियों को सुना।

याचिकाकर्ता एन.डी.पी.एस. केस नंबर 11/2019 के अनुरूप, डालटनगंज टाउन पी.एस. केस नंबर 201/2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि 112.01 किलोग्राम गांजा उस वाहन से बरामद किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता भी मौजूद था।

हालांकि यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और दिनांक 08.06.2019 से हिरासत में है, लेकिन वाहन से बरामद गांजा की मात्रा को देखते हुए, मैं इस आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

तदनुसार, यह आवेदन इस स्तर पर खारिज कर दिया गया है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, जे)

आर. शेखर सीपी 3